

3.11.72 पत्रावली पेश हुई। वसुधाप फरीकैन उपो
 वादी सुभाष द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया
 की उनका पक्षकारों के अक्षर आपसी राजीनामा होगा
 है वे बाद भी आगे नहीं चलाना चाहते अतः भूल दाये
 को नीट प्रेस किया जावे। वादी वकील की बहस सुनीगयी।
 वादी वकील की बहस एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दावा
 नीट प्रेस किया जाता है। प्रार्थी के पत्रावली पर
 हस्ताक्षर करवाये जाये जैसे वादी वकील द्वारा प्रमाणित
 किया गया।

अतः पत्रावली नम्बर से कम है।

बाद पूर्ण दारिबल दफतर है।


 सहायक कलेक्टर
 बहरोड़ (अनवर) पत्रा.